बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 105/314 पटना, दिनांक 28/1/19
सं0 सं0–05 / उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 01 / 2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी,
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग–उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, विपत्र कोड 23-2852.08.001.0001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में गैर योजना (स्थाई) कार्यालय के विषय शीर्ष 0001.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं 0001.28.02 संविदा सेवाएं मद में कुल राशि रू0 1,68,500 / –(एक लाख अड़सठ हजार पांच सौ) रूपये मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रतिबद्ध व्यय के वहन हेतु कुल **रू0 1,68,500 / –(एक लाख अड़सठ हजार पांच सौ)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय–व्ययक शीर्ष–2852 उद्योग–उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय, विपत्र कोड 23-2852.08.001.0001 के अन्तर्गत मूल उपबंध एवं विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 506, दिनांक 22.01.2019 द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त बजट उपबंध से निम्न सारणी के अनुरूप विकलित होगा :–

क्र0 सं0	विषय शीर्ष / मद	आवंटित राशि (रू0)
1	0001.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,18,500
2	0001.28.02 संविदा सेवाएं	50,000
3	योग :–	**1,68,500**

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 मे स्थापना व्यय वहन करने के लिए दिया जा रहा है।
4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृ0 पृ0 उ0

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 105/3ITC/ पटना, दिनांक 28.1.19

प्रतिलिपि :– विकास भवन, नया सचिवालय परिसर, बिहार, पटना स्थित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 105/3119 पटना, दिनांक 28.1.19

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।